सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 455/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 24 अक्टूबर 2020**

प्रेस विज्ञप्ति

थाना जहानागंज

हिन्दूओ के आस्था के साथ अभद्रता एवं प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ अशोभनीय एवं अमर्यादित टिप्पणी करने वाला एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्री हरिनरायण सिह पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद सिह सा0 सुन्दरनगर (सिधारी) थाना सिधारी जनपद आजमगढ विश्व हिन्दू महासंघ जिलाध्यक्ष आजमगढ उपस्थित थाना कार्यालय आकर एक किता तहरीर हिन्दी लिखित दस्तखती खुद का बता कर वावत सरोज कुमार पुत्र लालगती ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढद्वारा हिन्दूओ के आस्था के साथ अभद्रता एवं प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ अशोभनीय एवं अमर्यादित फेसबुक पर भद्दी टिप्पणी करने के सम्बन्ध में दाखिल किया कि दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 225/20 धारा 295क/505(2)/504 भादवि पंजीकृत किया गया।

दिनांक 24.10.2020 को वरिष्ठ **पुलिस अधीक्षक आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह** के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर महोदय तथा क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल पर्वेक्षण मे मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 225/20 धारा 295क/505(2)/504 भादविसे सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त सरोज कुमार पुत्र लालगती ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ को आज दिनांक 24.10.2020 को समय करीब 12.40 बजेदिन में अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालानमु0अ0सं0 225/20 धारा 295क/505(2)/504 भादविमे माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरणः-सरोज कुमार पुत्र लालगती ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 31 वर्ष बदरियाफ्त जुर्म इकबाल कर बता रहा है कि साहब तमाम फेसबुक पर बाबा भीमराव अम्बेडकर के विरुद्ध अपमान जनक टिप्पणी आती रहती है इसलिए मैने भी इस तरह की अपमान जनक टिप्पणी अपने मोबाइल फेसबुक से पोस्ट किया हूँ साहब मै यह काम जानबूझ कर किया हूँ साहब इस बार क्षमा कर दीजिये भविष्य मे दोबारा गलती नही करुगा।

थाना-फूलपुर

लड़की को भगाकर व जान से मारने की धमकी देने वाले तीन वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्री रविन्दर सोनकर थाना सिधारी आजमगढ की पुत्री को भगा ले जाने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिला तहरीर के आधार पर पंजीकृत मु0अ0स0 258/20 धारा 363,366,506,120 बी भादवि थाना स्थानीय पर अभि0गण 1..आशीष सोनकर पुत्र बालदीन सोनकर निवासीगण नरौली थाना सिधारी आजमगढ़ 2. अनीष सोनकर पुत्र बालदीन सोनकर निवासीगण नरौली थाना सिधारी आजमगढ़ व 3. श्यामलाल उर्फ गुड्डू पुत्र केशव सोनकर निवासी ग्राम नइठी(बिन्द मठिया) थाना मुबारकपुर आजमगढ़ पर पंजीकृत हुआ।

दिनांक-22.10.2020 को व0उ0नि0 सुशील कुमार दूबे मय हमराहियान के थाना हाजा से प्रस्थान कर बगरज देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व तलाश वांछित अभियुक्त में जगदीशपुर पुलिया पर मामूर था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि सम्बन्धित मु0अ0सं0 258/20 से सम्बन्धित अभि0 जगदीशपुर पेट्रोलपम्प मनरा तिराहे पर टिकरिया जाने वाले रास्ते पर कही जाले के फिराक में कड़े है यदि शिघ्रता किया जाय तो पकड़े जा सकते है इस सूचना पर विश्वास कर व0उ0नि0 मय हमराही पुलिस बल मय मुखबीर के जगदीशपुर पुलिया से मनरा तिराहे की ओर चल दिया लाईट की रोशनी मे देखकर मुखबीर इशारा करके गाडी से उतर गया कि हम पुलिस वालो को लाईट की रोशनी में देखकर अभि0गण भागना चाहे की हिकमत अमली से पकड़ लिया गया।पकडे गये व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम क्रमशः1.आशीष सोनकर 2. अनीष सोनकर पुत्रगण बालदीन सोनकर निवासीगण नरौली थाना सिधारी आजमगढ़ व 3. श्यामलाल उर्फ गुड्डू पुत्र केशव सोनकर निवासी ग्राम नइठी(बिन्द मठिया) थाना मुबारकपुर आजमगढ़ बताया अभि0गणो को कारण गिरफ्तारी बताते हुये दिनाँक 23.10.2020 को समय 19.05 बजे बाकायदा बाताफ्ता हिरासत पुलिस में लिया गया।

थाना अतरौलिया

एक अवैध देशी तमंचा, जिन्दा कारतूस व 19,600 रूपये के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

प्रकाश में आये अभियुक्त 1.शिवनाथ निषाद पुत्र अच्छेलाल निषाद निवासीभवनाथपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ अभियुक्त द्वारा वादी कन्हैया प्रसाद गौड़ पुत्र स्व0 रामहित गौड़ निवासी गोरहरपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने दिनांक 22/10/2020 को थाना स्थानीय पर चोरी का मु0अ0सं0 144/20 धारा 379 IPC बनाम अज्ञात के पंजीकृत कराया था जिसमे वादी के इलेक्ट्रानिक्स दूकान के काउन्टर से HONOUR मोबाइल चुरा लिया था के सम्बन्ध में है इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण , सिद्धार्थ द्वारा संज्ञान लेकर प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया आजमगढ़ को निर्देशित किया गया कि मुकदमे में अज्ञात अभियुक्त को गिरफ्तार कर व चोरी गये सामान को बरामद कर आवश्यक कार्यवाही करे के सम्बन्ध में SI गोपाल जी , मय हमराह SI प्रदीप कुमार सिंह , हे0 का0हरेन्द्र यादव , का0 विनोद यादव , का0 नितेश कुमार , का0 अवनीश सिंह के दिनांक 23/10/2020को दौरान क्षेत्र भ्रमण जरिये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तशिवनाथ निषाद पुत्र अच्छेलाल निषाद निवासी भवनाथपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़को भोराजपुर बाईपास अतरौलिया से समय 18.30 बजे दिनांक 23/10/2020को गिरफ्तार किया गया | व एक अभियुक्त नरसिंह निषाद पुत्र रामअचल निषाद निवासी भवनाथपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ भागने में सफल रहा |

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त शिवनाथ निषाद पुत्र अच्छेलाल निषाद निवासी भवनाथपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा पूछताछ करने पर बताया की साहब मेरे द्वारा हॉनर मोबाइल चोरी की गयी है व नैपुरा अतरैठ के पास से दिनांक14/8/2020 को 1,70,000एक लाख 70 हजार मेरे द्वारा व मेरे साथी नरसिंह निषाद के द्वारा लुटा गया था | जिसके सम्बन्ध में आपके थाने पर मु0अ0सं0 87/20 धारा -392 IPC पंजीकृत है।